



बिहार BIHAR

Serial No. 3122

2017

1483-184

31/3/17

3B Construction Pvt Ltd, Andheri

A 162231

East. Mumbai - 93

Deed No. 3084

राजेश्वर शाह

मुख्य अधिकारी of Bihar

District Registry Office, Bhagalpur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 07/04/2017 by Vivek Narayan

A Stamp Duty of Rs. 631300/- and other Fees of Rs. 20500/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 3084 in Book No. 1, Volume No. 82 on pages from 61 to 77 and has been preserved in total 17 pages in C.D. No. 13 / Year 2017

Date: 07/04/2017

उन्नयन मनोबंध
(Development Agreement)

Token No. 3231/2017

Signature with Date
(Satya Narayan Choudhary)
Registering Officer, Bhagalpur

- यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट आज दिनांक को श्री विवेक नारायण पिता स्व० विनय नारायण अग्रवाल साकिन मोहल्ला - स्वामी विवेकानन्द पथ, नया बाजार, पोस्ट-नया बाजार, थाना - कोतवाली, जिला वो शहर वो निबंधन कार्यालय-भागलपुर, वर्तमान निवासी फ्लैट न० 405, जेम्स कोर्ट अपार्टमेंट 223,

7/04/2017

7/4/17

निष्पादक का हस्ताक्षर

Vivek Narayan

07-04-17

07-04-17

For 3B Constructions Private Limited

Director



A 162232

बिहार BIHAR

2017

राजेश्वर माल
मुद्रांक विक्रेता
सी० ला० नं०-20/87-88
कोर्ट क० भागलपुर

14183-184

31/3/17

फैजाबाद रोड लखनउ, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीयता - भारतीय, जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

2. (i) 3B CONSTRUCTIONS PVT LTD, Flat No 11, Building No-3A, TAKSHILA CHSL, MAHACALI CAVES ROAD, ANDHERI-EAST, MUMBAI-93. द्वारा निदेशक 1. संजीव कुमार पाण्डेय पिता स्व० कैलाश बिहारी पाण्डेय Flat No 11, Building No-3A, TAKSHILA CHSL, MAHACALI CAVES ROAD, ANDHERI-EAST, MUMBAI-93. व 2. श्री आयुष कुमार पिता स्व० नरेश चन्द्र झा साकिन जीबु झा लेन, छोटी खंजरपुर, थाना बरारी, जिला भागलपुर व 3. श्री अभिषेक पिता श्री विवेक नारायण निवासी फ्लैट न० 405, जेम्स कोर्ट अपार्टमेंट, 223, फैजाबाद रोड, लखनउ उत्तर प्रदेश,

Ayush Kumar
7/04/2017

minile
7/4/17

11/4/17
11/4/17
Aayush Kumar
7/4/17

For 3B Constructions Private Limited

Ayush Kumar
Director

माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/उन्नयनकर्ता/विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित हैं, के बीच सम्पादित हुआ।

(ii) संजीव कुमार पाण्डेय पिता स्व० कैलाश बिहारी पाण्डेय Flat No 11, Building No-3A, TAKSHILA CHSL, MAHACALI CAVES ROAD, ANDHERI-EAST, MUMBAI-93.

यह कि जमीन मालिक मोहल्ला-नया बाजार राय गोपाल सरकार लेन, थाना-कोतवाली, जिला-भागलपुर के वर्तमान नगर निगम वार्ड न०-18, सर्वे नगरपालिका वार्ड न० 6, होल्डिंग न० -23, अंचल जगदीशपुर, खाता न० -228 (दो सौ अट्ठाईस), सर्वे प्लॉट/खेसरा नं. 57 सनतावन क, ख, ग, घ, का अंश एराजी 13508.7 वर्गफीट यानि 31.07 (एकतीस दशमलव शून्य सात) डीसमल, जिसका प्रचलित आवासीय बाजार मूल्य मो. 3,10,70,000/-तीन करोड़ दस लाख सत्तर हजार रुपये व उस पर बने 42 पीलर का कीमत मो० 4,20,000/- चार लाख बीस हजार रुपया है वो 40 फीट लंबा 5 फीट खड़ा व 10ईंच चौड़ा दीवाल का कीमत मो० 1,00,000/- एक लाख रुपया है।

इस प्रकार कुल कीमत मो० 3,15,90,000/-तीन करोड़ पन्द्रह लाख नब्बे हजार रुपये जिस पर मुद्रांक शुल्क दिया गया है। उस पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जे में हैं। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची- 1 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि अनुसूची-1 में वर्णित सम्पति जमीन मालिक विवेक नारायण की मौरुषी/खतियानी संपत्ति है व दखल कब्जे में स्वतंत्र रूप से कायम है।

इस तरह लेख्य संपत्ति का अन्तरन एवं किसी भी प्रकार का करारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम हैं।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची-1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

Gayash Kumar
7/04/2017

Surinder
7/4/17

निष्पादक का क्षर
Vivek Narayan
27/4/17

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची- 1 में वर्णित जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधनों पर किया जाय:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची- 1 की जमीन पर बी.एम.सी. व सम्बंधित प्राधिकार से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहुमंजिला इमारत बनाएं।
2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवलेपर ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पत्ति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वत किया है कि उक्त सम्पत्ति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यह भी कि वे जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में
3. इस एकरारनामा के निष्पादन पर क्षतिपूर्ति करेंगे। यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर बचनबद्ध करते हैं कि अनुसूची- 1 में वर्णित जमीन पर बहु-मंजिला इमारत की संरचना करेंगे।
4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रूप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर terrace का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे।
5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि बी.एम.सी. प्राधिकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन वो निर्मित भवन हिस्से में जमीन मालिक का 37.5 प्रतिशत एवं भवन निर्माता **3B CONSTRUCTIONS PVT LTD** का 51.28 प्रतिशत हिस्सा व संजीव कुमार पाण्डेय का हिस्सा 11.22 प्रतिशत होगा।
6. यह कि जमीन मालिक डेवलेपर को यह स्वीकृत करते हैं और डेवलेपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते हैं उन शर्तों और बंधनों पर जो इस एकरारनामा की अनुसूची- I में वर्णित है।

Ajay Kumar
7/04/2017

Surinile
7/4/17

निष्पादक का हस्ताक्षर

Ajay Kumar
7/4/17

Ajay Kumar
7/4/17

Ajay Kumar
7/4/17

For 3B Constructions Private Limited

Ajay Kumar
Director

7. यह कि जमीन मालिक यह भी सहमत है कि डेवेलपर उक्त वास्तुकार द्वारा निर्मित प्लान बी.एम.सी प्राधिकार और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवेलपर करेंगे।
8. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास-पूर्व कार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवेलपर द्वारा बी.एम.सी प्राधिकार और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जाएगी।
9. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पत्ति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा 03 वर्ष की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का छह महीने का कृपा काल होगा। भवन निर्माण की कुल समय सीमा कृपा काल सहित बी.एम.सी./ प्राधिकार द्वारा नक्शा स्वीकृति की तिथि से गिनी जाएगी।
10. यह कि मालिक सहमत हैं और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रूप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।
11. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्प्लेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को 37.5 प्रतिशत/किसी एक तल में या सभी तल में या कीमत के आधार पर विकासक खाना न0 1 लेख्यकारी को सुपुर्द कर देंगे।
12. यह कि यथावर्णित नवनिर्मित इमारत पर जमीन मालिक को 37.5 प्रतिशत का अधिकार। फ्लैटों का निर्धारण अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के अलग अलग हिस्से प्राधिकार द्वारा नक्सा पास होने के बाद मानचित्र एवं प्लान के स्वीकृत

Ajay Kumar

7/04/2017

mine
7/4/17

Kamini Kumar
7/4/17

निष्पादक का हस्ताक्षर
S. S. Nayyar
7/4/17

- होने के बाद तुरंत करना अनिवार्य होगा तथा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात् सीढ़ी घर, रास्ता, पम्प घर, जेनरेटर घर, वाहन क्षेत्र, लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और डेवेलपर दोनों द्वारा आनुपातिक रूप से उपयोग की जाएंगी।
13. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना। इसकी प्रक्रिया एवं खर्च की पूर्णतया जिम्मेवारी डेवेलपर की है।
14. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्त करना। इसकी प्रक्रिया एवं खर्च की पूर्णतया जिम्मेवारी डेवेलपर की है।
15. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना। इसकी प्रक्रिया एवं खर्च की पूर्णतया जिम्मेवारी डेवेलपर की है।
16. स्वामित्व या स्वत्व याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया जो जमीन मालिक को अपने स्वामित्व से संबंधित कार्रवाई होगी उसको प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट-tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम जमीन मालिक अपने खर्च पर करेंगे।
17. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने 62.5 प्रतिशत हिस्से यानि **3B CONSTRUCTIONS PVT LTD** का 51.28 प्रतिशत हिस्सा व सजीव कुमार पाण्डेय का हिस्सा 11.22 प्रतिशत होगा को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें।
18. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे भागलपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/सक्षम

Ajayash Kumar
7/04/2017

Miner

Miner
07-04-17

निष्पादक का हस्ताक्षर
Ajayash Kumar
2/4/17

Miner
07-04-17

क का हस्ताक्षर

अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा बचनबद्धताओं को अगर डेवेलपर चाहें तो जमीन मालिक

ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टियों, घोषणाओं, शपथ-पत्रों और अन्य कानूनी अथवा statutory कागजातों को बी.एम.सी प्राधिकार अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत हैं।

19. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं :-

(i). कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।

(ii). कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

(iii). कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं हैं।

(v). कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्चे पर चुनौती देंगे।

(vi). कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।

(vii). जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध हैं कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेंगे।

(viii). कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपत्ति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निबटान करने का अधिकार होगा।

20. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों (present) के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम भू-तल्ला के संरचना कार्य की पूर्णता के बाद जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना

Aayush Kumar
7/04/2017

sumin

हिस्सा बंधक रख सकते हैं बशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे और यह परियोजना के उन्नयन और जमीन मालिक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा। जमीन मालिक को ऐसे खातों, उधारों और आवेदनों को जांच करने का अधिकार होगा।

21. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तों के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवेलपर इमारत कम्पलेक्स में निर्मित क्षेत्र का 37.5 प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर जमीन मालिक या उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरिक करने के लिए डेवेलपर सभी कदम उठाएंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

22. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन "नारायणा रेसीडेन्सी " के नाम से करेंगे और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम "नारायणा रेसीडेन्सी " होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, बी.एम.सी. प्राधिकार एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगे तथा उन्नयन क्रम में अगर कोई नुकसान हो तो इसकी क्षतिपूर्ति तथा जमीन मालिक को इससे संबंधित सभी कार्यवाही, मांग, दावा, खर्च, नुकसान, दंड अथवा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्य या अनुबंध-विच्छेद के कारण (नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेंगे।

23. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधेजों के अनुरूप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित्त इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

24. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामिनों द्वारा वहन किया जाएगा।

25. इस मनोबंध की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा, सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

Rayash Kumar
7/04/2017

7/4/17

निष्पादक का हस्ताक्षर
Direct Nayam
2/4/17

7/4/17

7/4/17

26. डेवेलपर बी.एम.सी. के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे।

27. इमारत की योजना में डेवलेपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitary कार्यों जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे बी.एम.सी. की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

28. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा, क्षतिपूर्ति के लिए डेवेलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमें में बचाव करने के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

29. प्रस्तावित इमारत बी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

30. दोनों पक्षों के बीच यह भी समझौता हो बया है कि द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर बी.एम.सी.या संबंधित प्राधिकार से भवन का नक्सा तथा प्लान चार माह के भीतर स्वीकृत करा लेंगे ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में शर्त सं0 9 को अवैध तथा अप्रभावी माना जायेगा और दोनों पक्षों में समय सीमा पर फिर से विचार होगा।

31. उक्त जमीन पर निर्माण कार्य करते समय, निर्माण कार्य के कारण आजु बाजु के ईमारतों या दिवाल में किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी पुर्तया जिम्मेबारी डेभलपर की होगी।

यह की लेख्य प्लॉट से संबंधित जरुरी कार्यों के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत हैं क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चों की पूर्ति हेतु नियमानुकुल प्राधिकृत हैं।

Aayush Kumar

7/04/2017

7/4/17

निष्ठादक का हस्ताक्षर
Shree Narayan
2/4/17

7/4/17

7/4/17

अनुसूची-1

वह आवासीय परती जमीन जो मोहल्ला-नया बाजार राय गोपाल सरकार लेन, थाना-कोतवाली, जिला-भागलपुर के वर्तमान नगर निगम वार्ड न0.-18, सर्वे नगरपालिका वार्ड न0 , होल्डिंग न0 -23, अंचल जगदीशपुर, खाता नं0 -228 (दो सौ अट्ठाईस), सर्वे प्लॉट/खेसरा नं. 57 सनतावन क, ख, ग, घ, का अंश एराजी 13508.7 वर्गफीट यानि 31.07 (एकतीस दशमलव शुन्य सात) डीसमल । यह लेख्य सम्पति अवर निबंधन कार्यालय भागलपुर तथा जिला निबंधन कार्यालय भागलपुर क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :-

चौहद्दी

उत्तर :- श्री पुरुषोत्तम दास वगैरह

दक्षिण :- नीज जमीन मालिक व हिमांशु शेखर वगैरह

पूरब :- राय गोपाल सरकार लेन

पश्चिम :- श्री वसंत कृष्ण दास वगैरह

यह कि यह करारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोंच-समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

गवाहगण:-

1. Subhaswan Shekhan.
S/O Late B. B. Kumar Choudh.
Wakham Sah Durgal Lake
Bhikhanpur, Bhagalpur.
7/4/17

Aicek Narayan.

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

Kamli
7/4/17

7/4/17

Kumar Bauri Bhokhpininee
S/o Subhas Choudh. Durgal
7/4/17

7/4/2017

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

लेख लेख्यकारी एवं लेख्यधारी के निदेश एवं सहमति पर लिपिबद्ध किया गया है।

7/4/17

निष्पादक का हस्ताक्षर
Aicek Narayan.



राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार

रैयत का नाम: विनय नारायण अग्रवाल
पिता/पति का नाम: हरिनारायण अग्रवाल
निवास स्थान: नयाबाजार भागलपुर,,,
जाति : अग्रवाल राजस्व थाना
नंबर: 6

जिला (22) अंचल : (31)
भागलपुर जगदीशपुर (भागलपुर)
मौजा : (535) जोगसर

अधिकार अभिलेख

** स्तंभ 11: लगान/बेला नकदी खेतों के निस्वत शर्तें, कब्जा लिखो (1) ठहराया हुआ मुनासिब लगान अगर कोई हो
लगान अलावे शेष (2) तारीका ठहराने लगान वो शरायत अगर होते होते बढ़ता हो (3) खास शर्तें शेष अगर कोई हो

खाताधारी सं.: 220131035000228

खाता नंबर	रैयत का नाम*	खेसरा नंबर	खेत चौहदी	किस्म जमीन	रकबा			दखल, दखल का स्वरूप	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान एवम सेस	**	नवैयत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की मुद्दत	परिवर्तनो को दर्ज करने का आदेश का सारांश, जापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का पदनाम	नवैयत जमाबंदी नं.
					ऐ.	डे.	हे.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(रं)	11(रं)	12	13	14
228		55/xD पु. पं. उ. द.		सहन	0	0	0.0025	अभ्युक्ति: कविल लगान	0	0			कायमी
		55/xE पु. पं. उ. द.		मकान	0	0	0.077		0	0			कायमी
		57/xD पु. पं. उ. द.		????	0	0	0.023		0	0			कायमी
		57/xE पु. पं. उ. नीज द. नीज		भीठ-1	0	0	0.04		0	0			कायमी
		57/xF पु. पं. उ. नीज द. नीज		भीठ-1	0	0	0.0375		0	0			कायमी
		57/xG पु. पं. उ. द.		????	0	0	0.025		0	0			कायमी

जिला (22) भागलपुर, अंचल : (31) जगदीशपुर (भागलपुर), मौजा : (535) जोगसर, खाता नंबर : 228, खाताधारी सं.: 220131035000228

चल: खतियान को प्रारूप के तहत पर प्रकाशित किया गया है। इस प्रारूप में टंकण यंत्र द्वारा अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इस लिए वर्तमान में इसकी कनफुर्मान्यता नहीं होगी और इसके आधार पर भूमि स्वामित्व संबंधी कार्य नहीं होंगे। इस प्रारूप के आधार पर रैयत अपनी आपत्ति (यदि है) संबंधित अंचल कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर करेंगे, जिस पर अंचलाधिकारी द्वारा नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

एन.आई.सी. बिहार कोतकनीकी सहयोग द्वारा विकसित

Sayush Kumar
7/04/2017

Kamali
07-04-17

Kamali
07-04-17
Nimban...
07/4/17

Miner
8/4/17

Vicek Narayan
7/4/17

<http://www.lrc.bih.nic.in/ViewRoRReportNew.aspx?SID=partsouegwaveb3jke1gfjyg&LHI...> 4/7/2017

For 3B Constructions Private Limited

Sayush Kumar

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
RXM2731479



निर्वाचक का नाम :

विवेक नारायण

Elector's Name

VIVEK NARAYAN

पिता का नाम : विनय नारायण

Father's Name VINAY NARAYAN

लिंग / Sex : पुरुष / Male

जन्मतिथि/ DOB : 03/05/1951 .

पत्र - न.सं.405 जेम्सकोर्ट आठ,
फैजाबाद रोड,

लखनऊ-लखनऊ, जिला-लखनऊ

Address- HNo.405 Jemscort A,
Fazabad Road,

TEH-Lucknow, DIST-Lucknow

Date: 15-8-2013

173 - लखनऊ पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के
निर्वाचक रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर
की अनुकृति

Facsimile Signature of the Electoral
Registration Officer for 173 - Lucknow East
- Constituency

2131002

पत्र बदलने पर, नये पते पर अपना नाम
निर्वाचक रजिस्ट्रार के कार्यालय में दर्ज करवाने तथा उस
पते पर हकीम नम्वर के कोई फार्म के लिए
संबंधित फार्म में यह हकीम नम्वर अवश्य लिख
in case of change in address, mention this Car
no. in the relevant Form for including your
name in the roll at the changed address and to
retain the card with the same number.

Vivek Narayan .
02/4/12

For 3B Constructions Private Limited

[Signature]
Director


 सर्वमेव सर्वे
 भारत निर्वाचन आयोग
 ELECTION COMMISSION OF INDIA
 IDENTITY CARD

BR/30/168/246195



निर्वाचक का नाम	सुभान्सु शेखर
Elector's Name	Subhanshu Shekhar
पिता का नाम	बिपुल कुमार घोष
Father's Name	Bipul Kumar Ghosh
लिंग / Sex	पुरुष / Male
जन्म तिथि	12/12/1975
Date of Birth	

BR/30/168/246195

पता : नेकमशह दारगह
 भीखनपुर
 गहरियाँ - नगर निगम
 भागलपुर,
 जिल्ला - जगन्नाथपुर,
 812001

Address : Nekamshah Daragah
 Gali Bhikhanpur
 Town/VII - Nagar, Bagnan
 Bhagalpur,
 Anchal - Jagannathpur,
 Dist. -

दिनांक / Date : 15/03/2013



156, भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक
 रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रत्यक्ष हस्ताक्षर करने
 Facsimile Signature of Electoral Registration
 Officer 156, Bhagalpur, Constituency

यदि बदले या, नये पते पर अपना नाम लिखकर
 नामावली में दर्ज करवाने तथा उस पते पर पत्नी नमूना 3A
 काई फार्म के लिए सम्बंधित फार्म में दर्ज करके नमूना
 प्रत्यक्ष लिखें

In case of change in address, mention this card
 no. in the relevant form for including your name
 in the roll at the changed address and to obtain
 the card with the same number.

Subhanshu Shekhar
07/4/13

 आधार पता: Address आत्मज: नरेश चन्द्र झा, जिबू S/O: Naresh Chandra Jha, झा लेन, छोटी खंजरपुर, Jibu Jha Lane, Choti जगदीशपुर, भागलपुर, Khanjerpur, Jagdishpur, बिहार - 812001 Bhagalpur, Bihar - 812001		 आयुष कुमार आयुष कुमार जन्म तिथि/ DOB: 29/03/1983 पुरुष / MALE
 1947 1800 309 1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in P.O. Box No. 1947, Bengaluru-560 001		 3140 8217 8206

Aayush Kumar
 7/04/2017

आधार - आम आदमी का अधिकार

For 3B Construction Private Limited

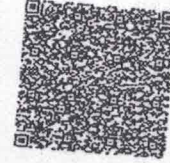
Aayush Kumar
 Director



भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No.: 1498/32045/00128

To
संजीव कुमार पाण्डेय
Sanjeev Kumar Pandey
S/O: Kailash Bihari Pandey
Flat - A/11 Building No- 03, Takshila Building No- 03
CHSL Mahakali Caves Road
Andheri East
Mumbai
Chakala Midc
Mumbai Mumbai
Maharashtra 400093
9920200353
25/01/2017
20369259
MD203692592FH



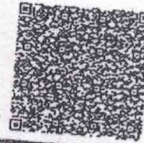
आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

8861 4923 0666

मेरा आधार, मेरी पहचान



संजीव कुमार पाण्डेय
Sanjeev Kumar Pandey
जन्म तिथि / DOB : 15/03/1972
पुरुष / Male



8861 4923 0666

मेरा आधार, मेरी पहचान

[Signature]
21/11/17

For 3B Constructions Private Limited

[Signature]
Director



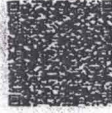
भारत सरकार



भारतीय जनसंघ प्रमाणन प्राधिकरण
GOVERNMENT OF INDIA



अभिषेक
Abhishek
जन्म तिथि/ DOB: 14/11/1977
पुरुष / MALE



पता:
C/O विवेक नारायण, फ्लैट
नं. 405, गेम्स कोर्ट अपार्टमेंट,
223 फैज़ाबाद मार्ग, इन्दिरा
ब्रिड्ज के पास, लखनऊ,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226007

Address:
C/O, Vivek Narayan, Flat No.
405, Gems Court Apartment, 223
Faizabad Road, Near Indira Bridge,
Lucknow, Lucknow,
Uttar Pradesh - 226007

4073 1336 7743

4073 1336 7743

आधार-आम आदमी का अधिकार

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

Signature
24/11

17

Signature

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 631300/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper Rs. 500/-
Amt. paid through Bank Challan Rs. 651300/-

Registration Fee										LLR + Proc Fee		Service Charge
A1	20000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0	LLR	0	500
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0	Proc.Fee	0	
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	Total	0	
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0			
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		0			
TOTAL-									20000			
Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. -										20500		

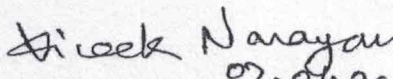
Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 20500

Date: 07/04/2017


Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Bhagalpur on Friday, 07th April 2017 by Vivek Narayan Vinay Narayan Agrawal by profession Others. Status - Executant


07.04.2017
Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 07/04/2017


Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Subhranshu Shekhar' age '47' Sex 'M', 'Bipul Kumar Ghosh', resident of 'Neknamshah Baba, jagdishpur, bhagalpur'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 07/04/2017


Registering Officer
Bhagalpur

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Bhagalpur in Book 1 Volume No. 82 on pages on 61 -77, for the year 2017 and stored in CD volume No. CD-13 year 2017 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 07/04/2017

Token No. : 3235 Year : 2017 S.No. : 3122 SCORE Ver.4.1


Registering Officer
Bhagalpur
Deed No. : d No. : 3084

Scanned by

For 3B Constructions Private Limited

